न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01 / 2024 प्रार्थना पत्र 14(4)

आम जनता नन्देरा जरिये

1. इन्दरसिंह पुत्र रूपसिंह
2. धीरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. हिम्मतसिंह पुत्र रघुनाथसिंह
4. श्यामसिंह पुत्र किशनसिंह
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह
6. जितेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बाबूसिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नन्देरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. अध्यक्ष आवंटन कमेटी उप जिला कलक्टर बांदीकुई जिला दौसा।
3. तहसीलदार तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 आंवटन दिनांक 06.12.2004 बहक बाबूसिंह निवासी नन्देरा तहसील बसवा जिला दौसा)

उपस्थिति : श्री हेमराज गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री उम्मेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 07.10.2024

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 06.12.2004 को भूमि खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.26 है. किस्म बंजड भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 बाबूसिंह के हक में विधि विरूद्ध तरीके से उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 बाबूसिंह पुत्र भागीरथ सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नन्देरा तहसील बसवा को आंवटन आदेश दिनांक 06.12.2004 के द्वारा आवंटित की गई भूमि खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.26 है. के आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र 14(4) विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2004 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) न्यायालय में प्रस्तुत होने पर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं प्रकरण से सम्बन्धित मूल आवंटन अभिलेख तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह गुर्जर उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 बाबूसिंह पुत्र भागीरथ सिंह को दि. 06.12.2004 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध तरीके से किया गया है। आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि आवंटन के लिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वयं के संयुक्त परिवार के सदस्यों के नाम कृषि के लिये भूमि नहीं होना एवं स्वयं के हिस्से में 0.17 हे. भूमि होना अंकित करते हुये यह आवंटन करवाया है जबकि आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Parcek
Date: 2025.01.22 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested

भागीरथसिंह के नाम साढे 3 बीघा भूमि खातेदारी में एवं 7 बीघा 2 बिस्वा संयुक्त खातेदारी में सहखातेदार जसवंतसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह हिस्सा 1/2, भागीरथ सिंह पुत्र रामसिंह हिस्सा 1/2 होते हुये भी मात्र 17 एयर भूमि होना व्यक्त करते हुये यह आवंटन गलत एवं कपटपूर्ण तथ्यो के आधार पर करवाया गया है। आवंटनशुदा भूमि कृषि भूमि नहीं रही है बल्कि सदैव से पानी के बहाव एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है। आवंटी कृषक भी नहीं रहा है ना ही उसने कभी खेती की है। आवंटी सेवानिवृत कर्मचारी है। आवंटन के समय आवंटी राजस्थान पथ परिवहन निगम में सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहा है। सरकारी कर्मचारी होते हुये आवंटी ने स्वयं को कृषि व्यवसायी बताते हुये पटवारी हल्का एवं तत्कालीन तहसीलदार व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर आवंटन आज्ञा प्राप्त कर ली। भूमि खसरा नम्बर 1373 साबिक खसरा नम्बर 524, 525, 526 से बना है। हाल सेटलमेंन्ट पूर्व यह भूमि चराई रास्ते गांव का तालाब होने से बरसाती पानी के इस्तेमाल एवं बहाव के स्त्रोत की भूमि रही है, बजमाने बुर्जुगान इस भूमि में होकर आज दिन तक पानी का बहाव जारी है। अब्दुल रहमान बनाम राज. सरकार के प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रकरण के अनुसार भी यह भूमि आवंटन योग्य नहीं है। उक्त आवंटन के बाद नामान्तरकरण खुलवाकर अप्रार्थी खसरा नम्बर 1373 की भूमि को बेचान करने पर आमादा है। आवंटी का मौके पर ना तो पूर्व में कभी कब्जा रहा है ना ही आज रोज आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा है ना ही कभी उसने उक्त भूमि को काश्त की है। भूमि आज भी बंजड है एवं आवंटन योग्य नहीं है। उक्त भूमि में सार्वजनिक रास्ता मौजूद है, यह भूमि सार्वजनिक चराई की भूमि है। बरसाती पाने के बहाव की भूमि है। ऐसी भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करना सम्भव नहीं है, परन्तु आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर विधि विरूद्ध तरीके से खातेदारी प्राप्त कर ली गई है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया उक्त भूमि आवंटन आदेश दिनांक 06.12.2004 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब बहस में निवेदन किया गया कि दिनांक 06.12.2004 को खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.26 है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 बाबूसिंह पुत्र भागीरथसिंह को उप जिला कलक्टर बांदीकुई द्वारा विधिवत व नियमानुसार सभी आवंटन शर्तो की पालना करते हुये आवंटन कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। आवंटन के समय आवंटी के नाम भूमि नहीं थी जो भूमि थी वह पैतृक भूमि थी। प्रार्थी के हिस्से में केवल 17 एयर भूमि ही थी। आवंटन के बाद आवंटी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गैर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है एवं नियमानुसार गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार आवंटी को प्राप्त हो चुके है। यह भूमि कभी भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं रही है। उक्त भूमि पर आवंटी का कब्जा आवंटन के समय से ही चला आ रहा है एवं आवंटी उक्त भूमि को काश्त कर उपयोग में लेता चला आ रहा है। जिसके सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी सम्वत 2062 से 2065 व सम्वत 2066 से 2069 प्रस्तुत की गई है। आवंटन के समय प्रार्थी सरकारी कर्मचारी नहीं था बल्कि सेवानिवृत फौजी था। आवंटन फार्म में सैनिक का नोट भी अंकित किया हुआ है। सेटलमेंन्ट पूर्व यह भूमि राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज थी। यह भूमि शुरू से ही समतल है व इस भूमि में होकर बरसाती पानी का बहाव नहीं है। आवंटी अप्रार्थी के हक में नियमानुसार आवंटन कमेटी की सिफारिश के आधार पर आवंटन किया गया है। आवंटन दिनांक से आज तक आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा है एवं आवंटी उक्त भूमि पर सदैव से ही काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी उक्त भूमि किसी को नहीं बेचना चाहता है बल्कि उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है। प्रार्थना पत्र आम जनता के नाम से प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थीगण कोई आम जनता नहीं है बल्कि एक ही परिवार के सदस्य है जो आपस में चाचा भतीजा है एवं आवंटी से ईर्ष्या रखने के कारण यह प्रार्थना पत्र आवंटन के लगभग 20 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। यदि आवंटन को निरस्त ही करवाना था तो आवंटन के समय ही प्रार्थना पत्र 14(4) पेश किया जाना चाहिये था। आवंटन पुराना है एवं पुराना आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन योग्य होने पर ही भूमि का आवंटन किया गया जो की तस्दीक पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित है। गैर खातेदारी दिनांक 06.07.2005 को दर्ज हो चुकी है, उसके बाद गैर खातेदारी से खातेदारी के नामान्तरकरण स्वीकार होकर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद लम्बी अवधि गुजर चुकी है। खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटी को हैरान परेशान करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अतः प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:40:49 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 01/2024 प्रार्थना पत्र 14(4)

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम नन्देरा तहसील बसवा में आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1373 रकबा 0.26 है. के साबिक खसरा नम्बर 524 कृषि के लिये उपलब्ध भूमि नहीं थी। खसरा नम्बर 525 रास्ते की भूमि रही है तथा खसरा नम्बर 526 गैर मुमकिन बाडा भूमि रही है। पत्रावली में उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत नन्देरा पंचायत समिति बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 08.02.2024 में उक्त आवंटित भूमि सदैव से सार्वजनिक रास्ते के उपयोग में लिया जाना तथा इसी रास्ते से ग्राम नन्देरा का बरसाती पानी, नाली, नालों का पानी बहकर सांवा नदी में जाना अंकित किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटित की गई भूमि कृषि कार्य हेतु उपलब्ध नहीं होकर रास्ता हेतु सार्वजनिक उपयोग एवं पानी के बहाव की भूमि होने के उपरान्त भी कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम स्वीकार किया जाकर भूमि आंवटन आदेश दिनांक 06.12.2004 बहक अप्रार्थी संख्या 1 बाबूसिंह पुत्र भागीरथ सिंह निवासी नन्देरा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई निरस्त किया जाता है। मूल आंवटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested